न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 37 / 2022

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र गोकुलचन्द
2. सत्यनारायण पुत्र गोकुलचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

— प्रतिवादी :– जरियेंराज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय – दिनांक – 19.7.22

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 कानपुरा तहसील नसीराबाद की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी / काश्तकारी की है।

चौसाला ख0न0	रकबा	वर्किंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
3516	24–15–0	3920 / 4826	12–12–0	4153 / 6045	2.04
		3920	12–3–0	4153	0.35
				4154	0.26
				4155	0.67
				4156	0.08
				4157	0.60

आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार वर्किंग जमाबंदी मे गोकलचन्द पुत्र फूलचन्द जाति महाजन थे जिनकी मृत्यु होने के के बाद नामान्तकरण संख्या 981 दिनाक 21.05.1987 से उक्त आराजी वादीगण व उनकी माता बसन्ती पत्नी गोकलचन्द के नाम दर्ज हुयी वादीगण की माता बसन्ती की मृत्यु हो गयी है अतः उक्त आराजी पर वादीगण का ही हक व अधिकार निहित है। आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी होने से वादीगण उक्त आराजी पर कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 3516 वादीगण के पिता के नाम सम्वत् 2020 से 2023 की जमाबंदी में खातेदारी दर्ज थी। सम्वत् 2031 से 2036 की खसरा गिरदावरी मे भी उक्त चौसाला [illegible] 3516 वादीगण के पिता के नाम दर्ज है जिस पर वादीगण के पिता का [illegible] भी [illegible] होता है। चौसाला खसरा नम्बर 3516 के वर्किंग खसरा नम्बर 3920 रकबा 12–[illegible] 3920 / 4826 रकबा 12–12–0 पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार [illegible] कर दी गयी। किन्तु बाद मे वर्किंग खसरा नम्बर [illegible]0 को वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...के नाम दर्ज खाता संख्या 137/144/1 में से गोला करके त्रुटिपूर्ण तरीके से हटा ... वर्किंग खसरा नम्बर 3920 के हाल खसरा नम्बर 4153, 4154, 4155, 4156, 4157 को ... राजस्व अभिलेख अनुसार वादीगण के नाम सही अंकित कर दिया किन्तु वर्किंग खसरा नम्बर 3920/4826 रकबा 12-12-0 के हाल खसरा नम्बर 4153/6045 रकबा 2.04 को बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से वादीगण के नाम दर्ज नही कर सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया। जबकि हाल खसरा नम्बर 4153/6045 रकबा 2.04 को भी पूर्व राजस्व अभिलेख चौसाला जमाबंदी व वर्किंग जमाबंदी अनुसार वादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज करना चाहिये था। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेख में में वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबपेश कर निवेदन किया कि वर्किंग खसरा नम्बर 3920 रकबा 12-3-0 ही वादी के पूर्वज केनामखातेदारी दर्ज था। शेष रकबा वादी/पूर्वज की खातेदारी में दर्ज नही था। इसी कारण बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी को सही तरीके से सिवायचक दर्ज किया है। वादी का वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में वाद पत्र व जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1 आया आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में वादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी अंकित थी ?

-- वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राजत्रुटिपूर्ण होने सेवादीगण वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

-- वादीगण

3 अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में वादी कन्हैयालाल का शपथ पत्र पेश किया। व राजस्व अभिलेख पेश किये।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 3516 रकबा 50-10-0 की आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 में वादीगण के पिता गोकलचन्द पुत्र फूलचन्द के नाम खातेदारी दर्ज थी। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2035 में चौसाला खसरा नम्बर 3416 मिन रकबा 25-5-0 वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। चौसाला खसरा नम्बर 3516 के वर्किंग खसरा नम्बर 3920/4826 रकबा 12-12-0, 3920 रकबा 12-3-0 व अन्य खसरा नम्बर बने है। वर्किंग खसरा नम्बर 3920 व 3920/4826 वर्किंग जमाबंदी में वादीगण के पिता के नाम दर्ज थे। वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 137 में खसरा नम्बर 3920/... किया हुआ है। उक्त जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर को दर्ज करके ह... कोई कारण अंकित नही है। जबकि जमाबंदी में दर्ज किसी भी ... जाना उचित नही है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज थी। ... गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2035 व वर्किंग जमाबंदी से वादीगण के कथनों की पुष्टि ... है। तनकी संख्या 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 2 :- तनकी संख्या 1 के विवेचन व वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 981 दिनांक 21.05.1987 से जरियें विरासत गोकलचन्द की विरासत वादीगण व उनकी माता के नाम दर्ज की गयी। वादीगण की माता की मृत्यु हो गयी है। वंर्किग खसरा नम्बर 3920 रकबा 12–3–0 केहाल खसरा नम्बर 4153/0.35, 4154/0.26, 4155/0.67, 4156/0.08 व 4157/0.60 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। किन्तु वंर्किग खसरा नम्बर 3920/4826 रकबा 12–12–0 के हाल खसरा नम्बर 4153/6045 रकबा 2.04 वादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम किस कारण दर्ज नही की गयी यह राज0 पैरोकार ने स्पष्ट नही किया है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही दोहराना था। अतः वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी संख्या 2 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 4153/6045 रकबा 2.04 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कन्हैयालाल बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत – 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 37/2022
पेश करने की दिनांक – 08.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 4153/6045 रकबा 2.04 की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनाक 19 माह 07 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:47 IST
Reason: SelfAttested